



हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

(संसद के अधिनियम संख्या-25 (2009) के तहत स्थापित)

जांट-पाली, महेंद्रगढ़- 123031 (हरियाणा)

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

(Established vide Act No. 25 (2009) of Parliament)

Jant-Pali, Mahendergarh-123031 (Haryana)

No. CUH/UHC/2022/125

दिनांक: 24.11.2022

सूचना

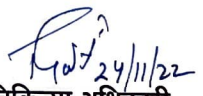
विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले सभी छात्र / छात्राओं को सूचित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता के मामले में छात्र / छात्राओं को एम्बुलेंस चालकों या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों कॉल नहीं करना है जबकि छात्र / छात्राएं विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों और एम्बुलेंस चालकों के मोबाइल नंबर पर बेतरतीब ढंग से कॉल कर रहे हैं और सर्दी-खांसी मामूली बीमारी के लिए भी एम्बुलेंस भेजने का अनुरोध करते हैं जबकि ऐसी मामूली बीमारी के लिए एम्बुलेंस की जरूरत नहीं होती है।

सभी छात्र / छात्राओं को किसी भी चिकित्सा सहायता के मामले में सबसे पहले अपने छात्रावास परिचारक (हॉस्टल अटेंडेंट या गार्ड) को सूचित करना है। विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर संपर्क नंबर के साथ छात्रावास परिचारक (हॉस्टल अटेंडेंट) के साथ प्रत्येक माह साझा किया जाता है। छात्रावास परिचारक (हॉस्टल अटेंडेंट) जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस भेजने के लिए ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल स्टाफ को सूचित करेंगे, अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता समझी गयी तो एम्बुलेंस 5 मिनट के भीतर छात्रावास पहुंच जाएगी, उस समय तक छात्र / छात्रा छात्रावास के मुख्य प्रवेश द्वार पर आ सकते हैं।

अब तक छात्र / छात्राएं सीधे किसी भी विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी या किसी एम्बुलेंस चालक को कॉल करते हैं और चिकित्सा सहायता मांगते हैं (भले ही कर्मचारी ड्यूटी पर हों या छुट्टी पर हों), जिससे मामलों में बातचीत और चिकित्सा सहायता में देरी होती है। कई मामलों में यह भी पाया गया है कि एम्बुलेंस छात्रावास पहुंच गई है लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार पर कोई छात्र / छात्रा नहीं है और यहां तक कि छात्रावास परिचारक (हॉस्टल अटेंडेंट) भी किसी भी छात्र / छात्रा की बीमारी से अनजान है।

लगभग 10-15 दिनों में विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र में लैंडलाइन कनेक्शन का काम पूरा कर दिया जाएगा उसके बाद किसी भी चिकित्सा सहायता के मामले में सभी छात्रावास परिचारक (हॉस्टल अटेंडेंट) और छात्र / छात्राओं को एम्बुलेंस सहायता के लिए आपातकालीन नंबर साझा किया जाएगा।

धन्यवाद।


चिकित्सा अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. कुलपति सचिवालय (माननीय कुलपति महोदय की जानकारी के लिए)
2. कुलसचिव // सभी अधिष्ठाता/ विभागाध्यक्ष / शिक्षक प्रभारी प्रोवोस्ट (बॉयज व गर्ल्स)
3. सिस्टम एनालिस्ट (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने विश्वविद्यालय के लिए)
4. नोटिस बोर्ड
5. कार्यालय प्रति